ग्राम पंचायत लड़ोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग –एक

1. **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लड़ोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया 1

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव रहे1

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती शशि बाला	1-04-2014 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री देश राज	1-04-2014 से 21-08-2014
2	श्री जोगिंदर पाल	22-08-2014 से 30-11-2015
3	श्री कुलदीप सिंह	1-12-2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत लड़ोली के लेखाओं अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है1

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.51
2	4.2	डाकघर में जमा राशि का रोकड़ बही में रख रखाव न करना	0.04
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.24
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	27.70
5	7	अनुदान राशि का अनियमित हस्तांतरण	5.41
6	8	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना अनियमित व्यय करना	32.92
7	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना	5.75
8	10	क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टियां न करना	8.07
9	11	मनरेगा अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	7.28

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत लड़ोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग

अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 28-11-2017 से 1-12-2017 तक ग्राम पंचायत लड़ोली में किया गया। 1लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है1 ।

आय:- 10/14, 1/16 व 3/17

व्यय:- 3/15, 11/15 व 8/16

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है1 । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा1।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत लड़ोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-270 दिनांक 29-11-2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत लड़ोली से अनुरोध किया गया1 जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या 314224 दिनांक 29-11-2017 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम जमा करवाया दिया गया है1 ।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी1 जिसका विवरण **परिशिष्ट-क** में दिया गया है1

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	2136408	3388636	5525044	4177066	1347978
2015-16	1347978	6659509	8007487	5452685	2554802
2016-17	2554802	4452460	7007262	4082745	2924517

(i) स्वयं स्त्रोत्र:-

ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा **परिशिष्ट-ख** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	88342	184459	272801	101667	171134
2015-16	171134	59987	231121	105135	125986
2016-17	125986	141041	267027	112071	154956

(ii) अनुदान:-

ग्राम पंचायत लड़ोली के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट-ख** में भी दिया गया है 1

वितीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	2048066	3204177	5252243	4075399	1176844
2015-16	1176844	6599522	7776366	5347550	2428816
2016-17	2428816	4311419	6740235	3970674	2769561

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2017 बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है1

अन्त शेष का विवरण:-

क्रम सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अम्ब	3286608851	153050
1	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009003468	2778372
	डाकघर लड़ोली	440654	3694.25
		हस्तगत रोकड़	259
		योग	₹2935375.25
2	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009039257	0
3	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अम्ब	2191557604	39765
4	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009039257	438
5	पंजाब एंड सिंध बैंक अम्ब	2206270594	0
		योग	**₹2975578.25**

दिनांक 31-03 -2017 को स्वंय स्त्रोत व अनुदान रोकड़ बही का अन्त शेष = `**₹2924517**

दिनांक 31-03-2017 को बैंक खातों के अनुसार अन्त शेष = **₹2975578.25**

अन्तर = ₹51061.25

4.1 रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करना परिणामस्वरूप अन्तशेष में ₹0.51 लाख का अन्तर:-

रोकड़ बही के अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान करना अनिवार्य था1 अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है1 दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों तथा बैंक

खाते व हस्तगत के अंत शेष में ₹51061.25 का अन्तर था जिसके बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 डाकघर में जमा ₹0.04 लाख की रोकड़ बही में रख रखाव न करना:-

दिनांक 31-03-17 को डाकघर लड़ोली खाता संख्या **440654** में **3694.25** का शेष दर्शाया गया है। लेकिन उक्त राशि का रोकड़ बही में रख रखाव नहीं किया गया जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें तथा अतिशीघ्र उक्त राशि का रोकड़ में रख रखाव करें।

4.3 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट –ग** में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। । अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए । ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख का वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व के रूप में **₹24100** वसूली हेतु शेष थी।, जिसका विवरण **परिशिष्ट –घ** पर भी दिया गया है।:-

(क) गृहकर

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	64880	10800	75680	75680	0
2015-16	0	10800	10800	0	10800
2016-17	10800	10800	21600	0	21600
ख) मोबाईल फीस					
2014-15	1500	2500	4000	0	4000
2015-16	4000	2500	6500	6500	0
2016-17	0	2500	2500	0	2500

अतः उपरोक्त उल्लेखित पंचायत राजस्व ₹24100 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। ।

(ग) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था ।। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। । अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ।

6 अनुदान ₹27.70 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-ख** के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक अनुदान ₹2769561 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट

करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

7 हरियाली–II अनुदान राशि से ₹5.41 लाख का अनियमित हस्तांतरण:–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 3-8-15 को खाता संख्या 20009039257 वाटर शैड हरियाली-II रोकड़ बही से शेष बची **₹540856** को स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि की रोकड़ बही खाता संख्या 20009003468 में हस्तांतरित किया गया है। वाटर शैड हरियाली –II के नियमों में शेष बची राशि को स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि में हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है । फलस्वरूप उक्त हस्तांतरण वाटर शैड हरियाली-II निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनियमित हस्तांतरण है । अतः उक्त अनियमित हस्तांतरित की गई राशि को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए । वैकल्पिक तौर पर उक्त अनियमित हस्तांतरित की गई राशि को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित भी करवाया जा सकता है।

8 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ₹32.92 लाख का अनियमित व्यय:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रसाशनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–M** में दिए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹3291730 का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कर्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना ₹5.75 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–च** में दिया गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹574538 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय सामग्री ₹8.07 लाख की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट –छ** पर दिए गये विवरणानुसार 807404 का सामान क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है। स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होने के कारण क्रय किए गए सामान के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने उपरांत सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹7.28 लाख के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:–

जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत लडोली द्वारा

करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में (**परिशिष्ट–ज** पर दर्शाए गए विवरण अनुसार) मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹**728192** के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जितना मजदूरी मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है। वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई है1। अतः उक्त मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹**728192** के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

ii) परिशिष्ट– झ पर दर्शाए गए विवरण अनुसार क्रम संख्या 1 से 31 पर उल्लेखित भुगतान की गई मजदूरी ₹**728192** से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं, जहाँ पर प्रगति (progress) दर्ज की गई है अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई1। अतः वांछित माप पुस्तिकायें सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए1।

12 आयकर/सेस/रायल्टी की कटौती न करने बारे:–

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी०डी०एस० की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि संविदाकारों के बिलों से आवश्यक आयकर आदि की कटौती नहीं की गई जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करे।

13 प्राप्त आय को रोकड़ बही में कम दर्ज करना

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 10/14 में रसीद संख्या 442101 से 442200 तक गृह कर के रूप में वसूली गई राशि का वास्तविक योग ₹12330 बनता है जबकि गणना में गलती के कारण ₹12150 रोकड़ बही में दर्ज किया गया1। फलस्वरूप प्राप्त आय ₹180 को कम दर्ज किया गया है1। अतः ₹180 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए1 तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

14 वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक संख्या अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रखरखाव ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया था1 ग्राम पंचायत लड़ोली के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए1।

15 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव ।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है।अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए ।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समीति का गठन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सकेl सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थीl

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है । अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएंl कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

16 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य थाl। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक हैl। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाएl।

कर्म संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर		

17 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य हैl।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(iv) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)

(v) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

ग्राम पंचायत लड़ोली द्वारा उपरोक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया, जो कि उक्त नियमों की अवहेलना है। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम सभा के कार्यवाही पुस्तिका (Minute Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पस्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

19 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से तैयार नहीं की गई है।

21 निष्कर्षः- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(v) 31/2017 खण्ड-1-2246-2249 दिनांक 02.04.2018
शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत लड़ोली विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881